न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 8/2025 निर्णय दिनांक :–26.02.2026

उनवानी प्रार्थना पत्र

मुन्नी देवी पत्नि जमनालाल वर्मा जाति रेगर उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीया–

बनाम

1. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक।
2. अम्बालाल पुत्र छीतरमल जाति रेगर उम्र बालिग निवासी प्रदीप नगर देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री प्रकाश चंद जैन
श्री वीरेन्द्र जैन ।।
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली
श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 1001 खसरा नं0 3338 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम देवलगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 5283/3338 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम देवलगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है एवं राजस्व रिकार्ड मे आराजी खसरा नं0 3337 व 3353 सिवायचक भूमि एवं खसरा नं0 3354 व 3355 गै0मु0 सड़क दर्ज है। प्रार्थीया अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर गै0मु0 सड़क खसरा नं0 3355 व 3354 से सिवायचक भूमि खसरा नं0 3353 व 3337 एवं अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 5283 /3338 मे से होकर आती जाती रही है तथा उपयोग उपभोग करती आ रही है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाती ले जाती है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत मे जाने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड मे आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीया को काफी पेरशानी का सामना करना पड़ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त कदीमी रास्ता बंद कर दिया जिससे प्रार्थी अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रही है। प्रार्थीया अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने के लिये गै0मु0 सड़क खसरा नं0 3355 व 3354 से सिवायचक भूमि खसरा नं0 3353 व 3337 एवं अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 5283/3338 मे से

होकर 10 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 1001 खसरा नं0 3338 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0 पर आने जाने के लिये गै0मु0 सड़क खसरा नं0 3355 व 3354 से सिवायचक भूमि खसरा नं0 3353 व 3337 एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 5283/3338 मे से होकर 10 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है – प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 अप्रार्थी नं0 2 की खातेदारी स्वीकार है। शेष गलत होने से स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 प्रार्थीया रास्ता प्राप्त करने की अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के अंत मे चाही गई प्रार्थना/अनुतोष गलत होने से स्वीकार नही है। मुलाहिजा हो विशेष आपत्तिया :– प्रार्थीया की भूमि पर 2 वैकल्पिक रास्ते है इस कारण अधिनियम के प्रावधानों अनुसार रास्ता नहीं ले सकती। प्रार्थीया मात्र अपनी भूमि के सुविधा जनक उपयोग के लिए रास्ता नही ले सकती। ऐसा अधिनियम की धारा 251 के कार्यान्वित करने के लिए नियम 69 उपनियम (एक) के अनुसार है। अधिनियम के प्रावधानों अनुसार वैकल्पिक साधन/रास्ते के अभाव मे ही रास्ते के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐसा अधिनियम की धारा 251 क के कार्यान्वित करने के लिए नियम 69 उपनियम (दो) के अनुसार है। प्रार्थीया की भूमि खसरा नं0 3338 पर जाने के लिए गै0मु0 सड़क (खसरा नं0 3354, 3355) तक जाने के लिए दो वेकल्पिक रास्ते है जिसमे पहला रास्ता प्रार्थीया की भूमि खसरा नं0 3338 के अड़वा भीलवाड़ा जिले के राजस्व ग्राम मुंसिपुरा तहसील जहाजपुर के खसरा नं0 501/6 स्थित है जिसमे से होकर प्रार्थीया गै0मु0 रास्ता खसरा नं0 3444, खसरा नं0 3440 मे होते हुए गै0मु0 सड़क आती जाती है तथा दूसरा रास्ता प्रार्थीया की भूमि खसरा 3338 अड़वा खसरा नं0 3339 रकबा 0.64 है0 स्थित है। जिसके खातेदार उषा कंचल महाजन है। उक्त खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि के सम्पूर्ण रकबा 0.64 है0 पर आवासीय भूखण्डो की प्लानिंग की हुई है। उक्त खाली भूखण्डो पर आने जाने के लिए 30 फीड चौड़ा रास्ता है जो यह रास्ता गै0मु0 सड़क तक जाता है। उक्त आवासीय भूखण्डो के अड़वा की प्रार्थीया की भूमि खसरा नं0 3338 है जिसमे प्रार्थीया ने पश्चिमी दिशा का भूखण्ड नं0 70 जरिये रजिस्र्ड कय किया हुआ है। भूखण्डो पर आने जाने के लिए 30 फीट चौडे रास्ते से होकर गै0मु0 सड़क पर आती जाती है तथा अपना कृषि कार्य करती है इस प्रकार प्रार्थीया की भूमि पर उक्त अनुसार दो वेकल्पिक रास्ते है जिनके होते हुए प्रार्थीया अन्य भूमि से रास्ता

नही ले सकती इस कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। खारिज करने योग्य है। अधिनियम धारा 251 क के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए नियम 69 अनुसार जिस खातेदार की भूमि मे से रास्ता मांगा जा रहा है वह पक्षकार बनाना अनिवार्य है तथा उनके आक्षेप सुनकर आगे की कारवाई की जाएगी प्रार्थीया ने खसरा नं0 3337, खसरा नं0 3353 मे से भी रास्ता चाहा है तथा प्रस्तावित रास्ता भी इन खसरो नं0 मे से बनकर आया है तो यह खसरा नं0 जिनकी खातेदारी मे इंद्राज है उनको पक्षकार बनाना चाहिए था और प्रार्थीया ने उनको प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। खारिज किए जाने योग्य है। अधिनियम धारा 251 क के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए नियम 68 अनुसार निर्धारित प्रारूप मे प्रार्थीया का आवेदन नही होने के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः–

प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को आराजी तक आने जने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता रिकॉर्डेड रास्ते से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई व चौड़ाई वर्गमीटर में निम्नानुसार है–

क्र.स.	खसरा नम्बर	लंबाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	5283/3338	72	3	216
2	3337	39	3	117
3	3353	7	3	21

प्रस्तावित रास्ते की भूमि गणेश रोड़ पर स्थित है जो देवली शहर की आबादी से लगभग 2.4 किमी दूर है एवं प्रस्तावित भूमि सिंचित है जिसकी वर्तमान दर अनुसार एक गुणा राशि 69349/–रू एवं दुगुनी प्रतिकर राशि 138698 रूपये होगी। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी खसरा न0 5283/3338, 3337, 3353 में से रास्ता चाहा गया है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना नहीं है। अप्रार्थीगण रास्ता देने हेतु सहमत नही है। अतः जमाबंदी, नक्शा ट्रेस और डीएलसी की छायाप्रति संलग्न कर श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

Ruby

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क के प्रावधानो के अनुरूप नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

तहसीलदार देवली ने मौका रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उपभयपक्ष एवं तहसीलदार देवली के जवाब/मौका रिपोर्ट की बहस पर मनन किया। **पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थीया की आराजी भूमि खाता संख्या 1001 खसरा नम्बर 3338 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। परंतु प्रार्थीया यह सिद्ध करने में असफल रही है कि उक्त आराजी भूमि तक पहंचने के लिये वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है एवं भूमि मोके पर पड़त पड़ी हुई है अथवा अप्रार्थीगण ने मौके रास्ता बंद कर दिया हो एवं प्रार्थीया के आने जाने में मजामहत करते हो। उपरोक्त वर्णित खसरा न0 3353 एवं 3337 वर्तमान में नगरपालिका देवली के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं पत्रावली में उक्त भूमिधारक को पक्षकार नही बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) के प्रावधानो के अनुरूप नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)